[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

[illegible] प्रश्न [illegible] : 287

12 [illegible], 2019 [illegible] प्रश्न [illegible]

ज़ीका, एंसेफेलाईटिस और अन्य विषाणु-जनित रोग

*287. श्री पी॰ के॰ कुनहलिकुट्टीः
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, भारत म ज़ीका, एंसेफेलाईटिस और अन्य विषाणु जनित वायरसों को सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश म ज़ीका, एंसेफेलाईटिस और इसी प्रकार के अन्य विषाणु-जनित रोगों के उपचार हेतु पयाप्त प्रबंध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[illegible]

[illegible]स्थ्य और परिवार कल्या[illegible] (डॉ. [illegible])

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 12 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □□287 □□
□त□□ □' □□ले□□□□ □□□□□

(क) व (ख) : जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 26 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अहमदाबाद, गुजरात म जीका वायरस रोग के 3 मामलों को जानकारी दी है। आज को तारीख के अनुसार वष 2016 से रिपोर्ट किए गए जीका वायरस रोगों के राज्यवार प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किए गए मामले निम्न प्रकार से ह:

□□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र	2016	2017	2018
गुजरात	1	2	1
तमिलनाडु	0	1	0
मध्य प्रदेश	0	0	130
राजस्थान	0	0	159
□□	1	3	290

(ग) व (घ): भारत सरकार ने ज़ीका वायरस रोग सहित महामारी संभावित बीमारियों के कारण होने वाले प्रकोपों का पता लगाने तथा उनका उपचार करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) प्रारंभ किया है। रोग प्रकोपों के शीघ्र बढ़ने के चरण का पता लगाने के लिए महामारी को संभावना वाले रोगों के संबंध म साप्ताहिक आंकड़े एकत्र किए जाते ह तथा उनका विश्लेषण किया जाता है तथा उन पर प्रशिक्षित जिला/राज्य त्वरित प्रतिक्रियात्मक कारवाई टीमों (आरआरटी) द्वारा रिपोर्ट एवं कारवाई को जाती है।

जीका वायरस संक्रमण अथवा इससे संबद्ध रोगों के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहों है। रोगियों का उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है जो कि सावजनिक स्वास्थ्य सुविधा कद्रों द्वारा प्रदान किया जाता है। माइक्रोसिफेली के साथ जीका वायरस रोग को संबद्धता को देखते हुए, जीका संक्रमण वाले क्षेत्रों म रहने वाली गभवती महिलाओं अथवा जिनम जीका वायरस संक्रमण के लक्षणों का विकास हो गया हो, को विशेष रूप से निगरानी को जाती है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कायक्रम द्वारा नियमित निगरानी प्रणाली के माध्यम से जापानी एंसेफेलाईटिस (जेई) सहित एंसेफेलाईटिस को निगरानी को जाती है। एंसेफेलाईटिस होने के विभिन्न कारण होते ह, परंतु मुख्यत: भारत म अधिकांश मामले जेई से संबंधित ह। भारत सरकार ने 5 राज्यों के 60 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों म जापानी एंसेफलाईटिस को रोकथाम व नियंत्रण हेतु बहुआयामी कायनीति को भी अनुमोदित किया है जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए ह:

- टीके को दो खुराकों सहित बच्चों के नए कोहाट म, 9 माह को आयु पर एक और 16-24 माह को आयु पर दूसरी खुराक देने के पश्चात बच्चों के लिए (1 से 15 वष) जेई टीकाकरण अभियान।
- निर्धारित जिलों म वयस्क जेई टीकाकरण।
- पांच राज्यों के निर्धारित मेडिकल कॉलेजों म भौतिक चिकित्सा पुनवास (पीएमआर) विभागों का सुदृढ़ीकरण।
- प्रहरी स्थलों को स्थापना जहां जेई नैदानिक किट निःशुल्क उपलब्ध ह।
- सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी)/ व्यवहारिक परिवतन संचार (बीसीसी) कायकलापों का सुदृढ़ीकरण।

इसी प्रकार, अन्य वेक्टर जनित रोगों के लिए भारत सरकार वायरल संक्रमणों के मामले म पालन किए जाने वाले स्टडड केस मैनेजमट दिशा-निदेशों के संबंध म निगरानी व जांच तथा मागदशन के संदभ म राज्यों को सहयोग प्रदान करती है।

*****